जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

दहेज मृत्यु के अभियोग में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे स्पे0 डैकैती कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

कोतवाली जालौन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/21 धारा 498 ए /304बी भादवि ¾ डीपी एक्ट के अभियुक्त 1. गौरीशंकर पुत्र श्यामकिशोर निवासी ग्राम धनौरा कला कोतवाली जालौन जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे स्पे0 डैकैती कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा आजीवन कारावास एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री महेन्द्र विक्रम सिंह
ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



म0का0 मधु शाक्य
कोर्ट मुहर्रिर

@jalaunpolice